

ग्राम:कटारा			पटवारी हल्का:रापड़िया			तहसील:कोलार			जिला:भोपाल		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जागद 4. अन्य	फसल के आंशिन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिचाई संबंधी विवरण 2. भूमि पर ररचना /अ 3. अन्य अतिरिक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम पांड्या (1) में (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1143806286 815NMJDAF1C1H0	131/3/1 (S)		0.0400 हेक्टेयर आवासीय रु.800.00	मे असनानी बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स लिमि द्वारा डायरेक्टर विशन असनानी जाति null पता कटारा कोलार भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था	1						प्रकरण नं. 205 आदेश दिनांक एवं धारा संख्या 59 के अनुसार खसरा नंबर 131/3/1 का क्षेत्रफल 400 (वर्ग मी.) व्यपवर्तित किया गया न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0018/अ-6/2011-12, आदेश दि. 29/05/2012 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0018/अ-6/2011-12, आदेश दि. 29/05/2012 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0018/अ-6/2011-12, आदेश दि. 29/05/2012 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0018/अ-5/2011-12, आदेश दि. 29/05/2012 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर महोदय के रा.प्र.क्र. 13/अ-6-अ/11-12 आ.दि. 16.5.2012 एवं ना.प.क्र. 18 आ.दि. 29.5.2012 के अनुसार

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |

2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

3. डिजिटली साईड के साथ के लिए लोक सेवा केंद्र से एम. ए. ऑनलाइन में अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |

4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन एवं संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |